

प्रेस नोट थाना गीडा जनपद गोरखपुर दिनांक 22.03.2025

गैंग बनाकर गो तस्करी करने वाले 05 अपराधियों को “आई0आर0 42/2025 “गोवंशीय पशुओं का तस्कर गैंग ” में सूचीबद्ध किया गया

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा "संगठित अपराधों" पर अंकुश लगाने एवं अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, प्रभारी निरीक्षक थाना गीडा की रिपोर्ट पर एवं क्षेत्राधिकारी गीडा व पुलिस अधीक्षक उत्तरी की संस्तुति पर अपराधी 1. अजमैन 2. वसीम 3. अंकित तिवारी 4. दिलशाद 5. मोहम्मद आमिर खान, जिनका एक विधि विरुद्ध गैंग है, को गो-तस्करी “आई0आर0 42/2025 “गोवंशीय पशुओं का तस्कर गैंग” के रूप में सूची बद्ध किया गया है। उक्त गैंग का लीडर अजमैन उपरोक्त स्वयं है। सभी उपरोक्त अपराधियों द्वारा एक साथ मिलकर अपराध जगत में गोतस्करी व अन्य आपराधिक कृत्य किया जाता है। इनके आपराधिक कृत्यों से आम जनमानस में भय एवं आतंक व्याप्त है। यह गैंग अपने आर्थिक एवं भौतिक लाभ हेतु अपराध करने का अभ्यस्त है। इस गैंग के ऊपर प्रभावी अंकुश लगाने हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा गैंग को “आई0आर0 42/2025 “गोवंशीय पशुओं का तस्कर गैंग” में सूचीबद्ध किया गया।

“आई0आर0 42/2025 “गोवंशीय पशुओं का तस्कर गैंग” के अपराधियों का नाम पता व

आपराधिक इतिहास-

1. अजमेन पुत्र जम्मन निवासी जयराजपुर थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़

- I. मु0अ0सं0 258/2024 धारा 3/5ए/8 गौ वध निवारण अधि० व ॥ पशु क्रूरता अधि० थाना गीडा जनपद गोरखपुर
- II. मु0अ0सं0 80/2018 धारा 3/50/8 गौ वध निवारण अधि० थाना कंधरापुर जनपद आजमगढ़
- III. मु0अ0सं0 143/2018 धारा 3(1) यू०पी० गैंगेस्टर एक्ट थाना कंधरापुर जनपद आजमगढ़
- IV. मु0अ0सं0 148/2019 धारा 174-ए भा०द०सं० थाना कंधरापुर जनपद आजमगढ़
- V. मु0अ0सं0 50/2020 धारा 3(1) यू०पी० गैंगेस्टर एक्ट थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़
- VI. मु0अ0सं0 68/2021 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़
- VII. मु0अ0सं0 130/2015 धारा 3/5/8 गौ वध निवारण अधि० व ॥ पशु क्रूरता अधि० थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़
- VIII. मु0अ0सं0 139/2019 धारा 3/50/8 गौ वध निवारण अधि० व ॥ पशु क्रूरता अधि० थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़
- IX. मु0अ0सं0 439/2024 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़

2. वसीम पुत्र हजारी निवासी बदला चौराहा बंजारन टोला थाना हरदत्त नगर गिरण्ट जनपद श्रावास्ती

- i. मु0अ0सं0 258/2024 धारा 3/5ए/8 गौ वध निवारण अधि० व ॥ पशु क्रूरता अधि० थाना गीडा जनपद गोरखपुर

3. अंकित तिवारी पुत्र राम श्रृगांर निवासी ककरापार थाना जहागीरगंज जनपद अम्बेडकर नगर

- i. मु0अ0सं0 258/2024 धारा 3/50/8 गौ वध निवारण अधि० व ॥ पशु क्रूरता अधि० थाना गीडा जनपद गोरखपुर
- ii. मु0अ0सं0 304/2020 धारा 323,504,506 भा0द0सं0 व 3 (1)(घ,द) SC/ST Act थाना जहांगीरगंज जनपद अम्बेडकर नगर
- iii. मु0अ0सं0 098/2020 धारा 60 आब० अधि० थाना जहांगीरगंज जनपद अम्बेडकर नगर

4. दिलशाद पुत्र मखन्चू निवासी मेहियापार थाना अहरौला जनपद आजमगढ़

- i. मु0अ0सं0 258/2024 धारा 3/5ए/8 गौ वध निवा0अधि0 ॥ पशु क्रूरता अधि० थाना गीडा जनपद गोरखपुर।

5. मोहम्मद आमिर खान पुत्र कमालुद्दीन निवासी नसीरपुर थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़

- i. मु0अ0सं0 258/2024 धारा 3/50/8 गौ वध निवा0अधि0 व 11 पशु क्रूरता अधि० थाना गीडा जनपद गोरखपुर